उत्तरांचल शासन
मानव संसाधन विभाग
संख्या /24/ /मा.स. वि./2001
देहरादून: दिनांक 19 मई, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में युवाओं के कल्याण हेतु युवा कल्याण परिषद के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। युवा कल्याण परिषद का स्वरूप निम्नवत है।

अ-	युवा कल्याण परिषद का स्वरूप:		
1-	मंत्री/ राज्य मंत्री, युवा कल्याण	-	अध्यक्ष
2-	राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति, जिन्हें युवा कल्याण कार्यक्रमो का पर्याप्त अनुभव तथा रूचि हो	-	उपाध्यक्ष
3-	सचिव, युवा कल्याण	-	सदस्य
4-	सचिव, खेल	-	सदस्य
5-	सचिव, संस्कृति	-	सदस्य
6-	निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र	-	सदस्य
7-	राज्य सरकार द्वारा नामित युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल का एक-एक सदस्य	-	सदस्य
8-	युवाओं के कल्याण हेतु कार्यरत दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नामित करें	-	सदस्य
9-	निदेशक, युवा कल्याण	-	सदस्य/सचिव
ब-	कार्यकारिणी समिति:		
1-	मंत्री/राज्य मंत्री	-	अध्यक्ष
2-	परिषद का उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नामित हो	-	सदस्य
3-	सचिव, युवा कल्याण	-	सदस्य
4-	राज्य सरकार द्वारा नामित युवक मंगल दल/महिला मंगल दल का प्रतिनिधि	-	सदस्य
5-	निदेशक, युवा कल्याण	-	सदस्य/सचिव
स-	परिषद के कार्यकलाप:		
1-	युवको व युवतियों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों से सम्बद्ध करना।		
2-	सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहसिक, स्वस्थ मनोरंजन, खेलकूद, युवा उत्सव, सर्वेक्षण योजनाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमो का आयोजन।		
3-	नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार का आयोजन।		

4- परिवार कल्याण, प्रौढ शिक्षा, अल्प बचत योजना एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन।

5- युवा कल्याण से सम्बन्धितकार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु सुझाव देना।

6- युवा केन्द्रो, युवा आवासों, व्यवसायिक युवा केन्द्रो तथा युवा क्लबों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।

7- युवा कल्याण से सम्बन्धित शासन के समस्त विभागो के कार्यक्रमो के संचालन में राज्य, जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर समन्वय तथा सहयोग स्थापित करना।

8- कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित युवा कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमो पर विचार-विमर्श करके नीति तैयार करना।

9- राज्य सरकार द्वारा युवा कल्याण परिषाद को समय समय पर सुपुर्द किये गये युवा कल्याण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमो को आयोजित करना।

कार्यकारिणी के कार्यकलाप:

- युवा कल्याण परिषाद के विचारार्थ युवा कल्याण सम्बन्धी योजनाएं/ कार्यक्रमो के प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा परिषाद के द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में चल रहे युवा कल्याण कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा उनकी समीक्षा करना।

परिषाद का कार्यकाल तथा बैठके:

युवा कल्याण परिषाद का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष, यदि उससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा समाप्त न कर दिया जाय, का होगा। परिषाद की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा कार्यकारिणी समिति की बैठके आवश्कतानुसार समय समय पर की जायेगी।

परिषाद तथा कार्यकारिणी के गैर सरकारी सदस्यों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम-20(बी) के अन्तर्गत परिषाद तथा कार्यकारिणी की बैठको में शामिल होने के लिये उनके द्वारा की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय यात्रिक तथा देय भत्ते दिये जायेंगे। परिषाद तथा कार्यकारिणी के सरकारी सदस्यो को यात्रा एवं दैनिक भत्ता अपने मूल विभाग से प्राप्त करेंगे। गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते के बिलों पर प्रति हस्ताक्षर परिषाद/समिति के सदस्य सचिव द्वारा किये जायेंगे।

(एन. एन. प्रसाद)
सचिव

संख्या /241 §1§/भा.सं.वि./2001 तद दिनांक:

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1/- महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2/- वित्त संसाधन अनुभाग, उत्तरांचल।
3/- युवा कल्याण परिषद के समस्त सदस्य।
4/- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5/- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6/- निजी सचिव, §1§- माननीय मुख्यमंत्री जी।
§2§- माननीय कैबिनेट एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री जी।

आज्ञा से

§ वी.के. पाठक §
अपर सचिव